न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 259 सन् 2016
पंजीयन दिनांक :– 04.08.2016

क्षैत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग, बोराव तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. भेरूलाल पिता मन्ना जाति कलाल (मेवाडा) निवासी बिना का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़
भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
जिला वन अधिकारी, वन विभाग चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
प्रकरण संख्या 30/2014 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2016

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. मदन त्रिपाटी– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1
3. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3
4. रेस्पोडेन्ट सं. 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक :– 12.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा बिना का खेडा तहसील रावतभाटा की आराजी नम्बर 228/103 रकबा 0.81 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित हुई। नामान्तकरण सं. 148 दिनांक 08.06.1992 से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के गैर खातेदारी मे दर्ज होकर उसका निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। नामान्तकरण सं. 235 दिनांक 09.11.2000 से उक्त कृषि आराजी पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी कृषि आराजी के चारो तरफ पत्थर की कोट बनवा रखी है। कुआं खुदवाकर कुएं हेतु विद्युत कनेक्शन ले रखा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने बैक से लोन ले रखा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपनी कृषि आराजी पर शांति पूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 के अधीनस्थ कर्मचारी आये दिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को परेशान करते है व कब्जा काश्त मे बाधा डालते है एवं बेदखल करने की धमकियां देते रहते है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के विरूद्ध वन विभाग ने प्रकरण अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम भी संस्थित कर रखा है, जिसके तहत बेदखल करना चाहते है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को पूर्ण अंदेशा है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4, रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को कभी भी बेदखल कर सकते है जिनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर वादपत्र विचारण हेतु दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये व आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.06.14 नियत की। नियत दिनांक को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाब हेतु अवसर चाहा जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.07.2014 नियत की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.04.2016 तक वास्ते जवाब विचाराधीन थी। दिनांक 12.04.2016 तक अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही हुआ न ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी का जवाबदावा बन्द किया। उक्त पत्रावली को दिनांक 03.06.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बोराव मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के वादपत्र मे निर्णय व डिक्री पारित की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत गई।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से वादपत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के खातेदारी की कृषि आराजी जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को आंवटन की गई, वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होकर कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का शांतिपूर्वक कब्जा है, जबकि उक्त आराजी आंवटन दिनांक से पूर्व ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 प्रतिवादी को वन क्षैत्र के लिये आंवटित की जा चुकी थी। उक्त आराजी मोजा बिना का खेडा तहसील रावतभाटा की आराजी नम्बर 228/103 रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि वन क्षैत्र की भूमि के बीच मे है जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का कभी कब्जा नही रहा है। बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य था। उक्त वादपत्र जवाबदावे मे नियत था। जवाब बन्द नही किया गया न साक्ष्य लिये गये न ही प्रदर्श करवाये गये। दिनांक 13.07.2015, 18.11.2015 एवं दिनांक 12.04.2016 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी/रीडर/अहलमद के हस्ताक्षर नही है। आदेशिका पर बिना किसी आदेश व बिना पक्षकारो को सूचित किये पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के वादपत्र मे निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो विधिसम्मत नही होकर सिविल प्रक्रिया संहिता का अवहरण करते हुए अपरिपक्व पत्रावली मे निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को विवादित कृषि आराजी आंवटित होकर उसके गैर खातेदारी मे दर्ज हुई है। आंवटन शर्तो की पालना करने पर रेस्पोडेन्ट वादी के खातेदारी मे दर्ज हुई है। आंवटन दिनांक से आंवटी का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। मौके पर कुआं है, विद्युत कनेक्शन ले रखा है, बैंक ने ऋण स्वीकृत किया है, वन विभाग का कभी कोई कब्जा नही रहा है। पडौस मे अन्य खातेदारो की भी कृषि भूमि स्थित है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने विवादित कृषि आराजीयात का खातेदार रहते हुए अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसका दिनांक 25.06.2014 को प्रतिवादी सं. 1 व 4 रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार रावतभाटा से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार रावतभाटा ने पटवारी हल्का मेघनिवास से मौके व रेकार्ड की जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की। मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2015 अनुसार खातेदार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी मौके पर काबिज होकर फसल मक्का काश्त करना पाया गया। इस प्रकार वाद सुनवाई कर एवं मौके की रिपोर्ट लेकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत नही होना मानते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता का अवहरण किया जाकर राजस्व लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के निर्णय व डिक्री पारित किया जाना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा बिना का खेडा तहसील रावतभाटा के आराजी नम्बर 228/103 रकबा 0.81 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को राज्य सरकार द्वारा आंवटित होकर गैर खातेदारी मे दर्ज हुई है। आंवटन शर्तो की पूर्ण पालना कर लिये जाने पर उक्त कृषि आराजी रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी के खातेदारी मे दर्ज हुई जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजीयात से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को बेदखल करने पर आमादा है जिनके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई। उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ जिसमे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाब हेतु अवसर चाहा जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.07.2014 नियत की गई। पत्रावली जवाबदावे मे विचाराधीन रहते हुए राजस्व लोक अदालत बोराव मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के तहत अपरिपक्व पत्रावली मे बिना किसी लिखित राजीनामे के सिविल प्रक्रिया संहिता का अवहरण करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपीलांट प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा के प्रकरण संख्या 30/2014 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 का जवाबदावा लिया जाकर उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम कर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)